छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा षष्ठम् सत्र अंक-05

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

(तारांकित प्रश्न संख्या 02 पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

2. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री ननकीराम कंवर, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें । निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे ।

(सदन की कार्यवाही 11.45 बजे स्थगित की जाकर 11.52 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या 03, 04, (कुल 04) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 51 तारांकित एवं 72 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

5. पृच्छा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि मैं किसी न किसी रूप में इस पर चर्चा कराऊंगा ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में तीन ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

(1) डॉ.रमन सिंह, सदस्य ने सिलतरा चौकी में पुलिस अभिरक्षा में एक व्यक्ति की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री सौरभ सिंह,देवव्रत सिंह,सदस्य ने नगर पालिका परिषद चांपा क्षेत्र अंतर्गत हसदेव पुल से घटौली चौक तक सड़क चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(3) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य ने दंतेवाड़ा जिले के पातररास कन्या शिक्षा छात्रावास में छात्रा के प्रसव की घटना घटित होने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल

(3) श्री बघेल लखेश्वर

(4) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू

(5) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी

8. वर्ष 2019-2020 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 54, 55, 64, 65, 71 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर एक हजार छः सौ पच्चीस करोड़, पैंसठ लाख, इकसठ हजार, छः सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, शिवरतन शर्मा, श्रीमती रश्मि आशिष सिंह, श्री देवव्रत सिंह,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री शैलेष पाण्डेय, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री गुलाब कमरो,

(सभापति महोदय (श्री देवव्रत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री दलेश्वर साहू,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

डॉ. विनय जायसवाल सर्वश्री विकास उपाध्याय, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पर विचार किया जाये ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2020 (क्रमांक 1 सन् 2020) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

10. अशासकीय संकल्प

1. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ में निवासरत देवार एवं बेलदार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाय ।"

श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

माननीय सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की ।

संकल्प वापस हुआ।

2. यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "बिलासपुर-नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 12855 का स्टॉपेज भिलाई पॉवर हाऊस किया जाय ।"

श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री धर्मजीत सिंह सदस्य, ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री कवसी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

3. सदन का यह मत है कि " यातायात नियमों से संबंधित विषय को प्रदेश के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाय ।"

श्री शिशुपाल शोरी, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सदस्य सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री मोहन मरकाम, सदस्य ने भी संकल्प के संबंध में विचार व्यक्त किये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया कि **प्रदेश के सभी स्कूल पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाय** ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री ने संशोधन पर सहमति व्यक्त की ।

तद्नुसार सदन का यह मत है कि "यातायात नियमों से संबंधित विषय को प्रदेश के सभी स्कूलों के शिक्षा पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाय ।"

यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 05.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2020 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा